भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5485

26.07.2019 को उत्तर के लिए

वानिकी संबंधी अभियान

5485. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पेड़ों की कटाई रोकने हेतु वानिकी हेतु कोई अभियान शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वानिकी के कार्य को पंचायतों को प्रत्यायोजित करने के संबंध में कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वृक्षारोपण को एक जन अभियान बनाने का निर्णय लिया है जिससे स्कूल नर्सरी, शहरी वानिकी, खाली भूमि पर वृक्षारोपण, कृषि भूमि पर मेंढ इत्यादि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय भू-दृश्य आधारित पौधरोपण हेतु जनता की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआइएम) नामक दो प्रमुख वनीकरण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2000 में एनएपी के आरम्भ से इसके अंतर्गत लगभग 3874 करोड़ रूपए के निवेश से 2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर वनीकरण किया जा चुका है और गत तीन वर्षों के दौरान जीआइएम के अंतर्गत 166.97 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं। प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) की निधि का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिपूरक वनीकरण सहित वृक्षारोपण संबंधी कार्यकलाप में भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनागत और योजनेत्तर स्कीमों के तहत विभिन्न विभागों द्वारा पार-क्षेत्रीय (क्रॉस सेक्टोरल) वृक्षारोपण/वनीकरण कार्यकलाप किये जाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप उद्देश्यों की प्राप्ति और विद्यमान वनों पर दवाब को न्यूनतम करने के लिए एक विशाल जन अभियान का सृजन करके स्थानीय समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर बल देते हुए संयुक्त वन प्रबंधन की संकल्पना शुरू की गई थी और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी) गठित की गई थीं जो देखभाल तथा साझेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जेएफएमसी को ग्राम सभा के अंग के रूप में मान्यता दी गई है जिनका ग्राम पंचायतों से सक्रिय संबंध होता है। मंत्रालय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा इन समितियों की भागीदारी से एनएपी तथा जीआइएम सहित अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

*****